हरियाणा सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जुलाई, 1991

संख्या सा० का० नि० 43/संवि०/अनु० 309/91.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1991, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, हरियाणा अधीन सेवाएं प्रवरण बोर्ड हरियाणा ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, भू-अभिलेख निदेशक ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा में विधि द्वारा निगमित कोई संस्था, या

(ii) कोई अन्य संस्था जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो ;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय, या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिपलोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय, या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय सेवा (ग्रुप ग)।

भाग-II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रियता, अधिवास तथा चरित्र।

4 (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका अथवा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मालवी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) अथवा (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ठ किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य

जिन्होंने व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उनके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भान्ति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय-महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को संगणकों की दशा में सत्रह वर्ष की आयु से कम और पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक तथा सहायक अनुसंधान अधिकारी, सांख्यिकीय सहायक की दशा में, बाईस वर्ष की आयु से कम और पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का न हो।

नियुक्ति अधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जाएंगी।

अर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

निरर्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,--

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से, विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी:--

(क) सहायक अनुसंधान अधिकारियों की दशा में,--

(i) निदेशालय में कार्य कर रहे सांख्यिकीय सहायकों में से पदोन्नति द्वारा

(ii) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत ; और

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पद धारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

(ख) सांख्यिकीय सहायक की दशा में,--

(i) निदेशालय में कार्य कर रहे संगणकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; और

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानन्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ग) संगणक की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा, या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(iii) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति का हकदार नहीं बनाएगी।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हों तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किए गए हों तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे :

परन्तु--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन विहित परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है, और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, जब तक वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,--

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,--

(1) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या

(2) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करे ;

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, —

(क) यदि उसका कार्य या आचरण, उसकी राय में, संतोषजनक रहा हो तो,-

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है, या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण, उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो, —

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और इसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. सेवा के सदस्यों की पारस्परिक ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जायेगी : ज्येष्ठता ।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय मण्डल या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यताक्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :--

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में, उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवा-काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का प्रत्येक सदस्य, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए नीचे लिखे के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :--

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाएं या बनाए जाएं। वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य, समय-समय पर यथासंशोधित, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे : अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है, शास्तियां लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा। टीका लगवाना।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। राजनिष्ठा की शपथ।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।

रक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

न तथा
त्ति ।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	—	4	4	1,600-50-2,300—द० रो०-60—2,660
2	सांख्यिकीय सहायक	—	2	2	1,400—40—1,600—50—2,300—द० रो० 60—2,600
3	संगणक	—	1	1	950—20—1,150—द० रो०—25—1,500

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में निष्णात उपाधि हो तथा सांख्यिकी एक विषय के रूप में या तो निष्णात (एम०ए०) स्तर पर लिया गया हो, यदि उम्मीदवार अर्थशास्त्र या गणित विषय सहित बी०ए० में आनर्स है तो आनर्स परीक्षा में सांख्यिकीय एक विषय के रूप में लिया गया हो, या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर हो।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में स्नातकोत्तर हो तथा सांख्यिकी एक विषय के रूप में निष्णात (एम०ए०) स्तर पर लिया गया हो। यदि उम्मीदवार अर्थशास्त्र या गणित विषय सहित स्नातक (बी०ए०) में आनर्स है तो आनर्स परीक्षा में सांख्यिकी एक विषय के रूप में लिया गया हो या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर हो।
		(ii) अधिमानतः किसी सरकारी कार्यालय में सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्रित करने, संयोजित करने तथा उनका विश्लेषण करने का एक वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।	(ii) सांख्यिकीय सहायक के पद पर सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्र करने, संयोजित करने तथा उनका विश्लेषण करने का एक वर्ष का अनुभव अथवा इसके समकक्ष

1	2	3	4	5	6
		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । या (i) अर्थशास्त्र या गणित या कृषि अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी सहित स्नातक (बी०ए०) की उपाधि प्राप्त की हो तथा सांख्यिकी एक विषय के रूप में पहले चार स्थितियों में लिया गया हो । (ii) प्राथमिकतः किसी सरकारी कार्यालय में सांख्यिकीय सहायक के रूप में आंकड़ों को एकत्रित करने संयोजित करने तथा उनका विश्लेषण करने का पांच वर्ष का अनुभव हो । (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या कृषि अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी ऐच्छिक विषय सहित स्नातक हो । (ii) सांख्यिकीय सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो अथवा इसके समकक्ष । (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास की हो, और		

1	2	3	4
			(ii) सांख्यिकीय आंकड़ों के एकत्रित, संयोजित तथा उनका विश्लेषण करने का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और उसमें सांख्यिकीय सहायक के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो ।
			(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
2.	सांख्यिकी सहायक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में स्नातकोतर हो तथा सांख्यिकी एक विषय के रूप में एम०ए० स्तर पर लिया गया हो यदि उम्मीदवार अर्थशास्त्र या गणित विषय सहित बी.ए. में आनर्स है तो आनर्स परीक्षा में सांख्यिकी एक विषय के रूप में लिया गया हो या सांख्यिकीय में स्नातकोतर होगा ।	(i) अर्थ शास्त्र या गणित या कृषि अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी ऐच्छिक विषय सहित स्नातक हो, और
		(ii) किसी सरकारी कार्यालय में सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्रित करने, संयोजित करने तथा उनका विश्लेषण करने का एक वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।	(ii) संगणक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो ।

1	2	3	4
		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
		या	या
		(i) अर्थशास्त्र या गणित या कृषि अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी विषय सहित स्नातक हो ।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास की हो, और
		(ii) अधिमानतः किसी सरकारी कार्यालय या अर्ध सरकारी संगठन में 2 वर्ष सांख्यिकीय आंकड़ों के एकत्रित करने, संयोजित करने तथा विश्लेषण करने का अनुभव प्राप्त हो ।	(ii) संगणक के पद पर आंकड़ों को एकत्रित करने, संयोजित करने का कम से कम 8 वर्ष का अनुभव हो ।
		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
3.	संगणक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास हो। जो व्यक्ति स्नातक हो कैलकुलेटिंग मशीन चलाना जानता हो उसे प्राथमिकता दी जाएगी ।	
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकार	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	निदेशक	छोटी शास्तियां	निदेशक	वित्तायुक्त, राजस्व	..
2.	सांख्यिकीय सहायक	,,				
3.	संगणक	,,	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय,			

1	2	3	4	5	6	7
			चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;			
			(v) वेतन वृद्धियां रोकना;			
			(2) बड़ी शास्तियां			
			(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			

1	2	3	4	5	6	7
			(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतयः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;			
			(viii) अनिवार्य सेवा निवृति ;			
			(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी ;			
			(x) सेवा में पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरर्हता होगी ।			

परिशिष्ट ध

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी भी कोई हो
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	1. पेन्शन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय समान्य या अतिरिक्त पेन्शन की राशि में कमी करना या रोकना, और	निदेशक	वित्तायुक्त, राजस्व	
2.	सांख्यिकीय सहायक	2. अधि वर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति			
3.	संगणक				

पी० एस० ओझा,

सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE DEPARTMENT

Notification

The 5th July, 1991

No. G.S.R./43/Const./Art. 309/91.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor of Haryana, hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Land Records Statistical (Group C) Service, namely :—

PART I—GENERAL

Short Title.

1. These rules may be called the Haryana Land Records Statistical (Group C) Service Rules, 1991.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana ;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(c) "Director" means the Director of Land Records ;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(e) "institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(f) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;

(g) "Service" means the Haryana Land Records Statistical (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (*1*) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is—

Nationality, domicile and character of candidates, appointed to Service.

(*a*) a citizen of India ; or

(*b*) a subject of Nepal ; or

(*c*) a subject of Bhutan ; or

(*d*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(*e*) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tenzania (formerly Tanganika and Janzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently in settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (*b*), (*c*), (*d*) or (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(*2*) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority, but the offer of an appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(*3*) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or institution last attended if any, and a similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty years of age in the case of Computers and less than twenty-two years or more than thirty-five years of age in the case of Assistant Research Officer, Statistical Assistant on the last date of receipt of application in the Board.

Age.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director.

Appointing Authority

Authority. Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment :

Provided that in case of direct recruitment the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, ex-servicemen and physically handicapped candidates, possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

(*a*) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(*b*) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the service:

Provided that the Government may, if satifsied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (*1*) Recruitment to the Service shall be made,—

(*a*) in case of Assistant Research Officer,—

(*i*) 50% by promotion from amongst the Statistical Assistants; or

(*ii*) 50% by direct recruitment ; or

(*iii*) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(*b*) in the case of Statistical Assistant:—

(*i*) by promotion from amongst the Computers ; or

(*ii*) by direct recruitment ; or

(*iii*) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(c) in the case of Computer :—

(*i*) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that,—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to a appointment to any post in the Service , may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be followed to count towards the period of a probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ;

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work and conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(*iii*) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(*b*) if his work or conduct has in its opinion been not satisfactory,—

(*i*) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such a manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(*ii*) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter-se* of members of the service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board or any other recruiting authority as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority, shall be determined as follows:—

(*a*) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(*b*) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(*c*) In the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(*d*) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment and if the length of such service is also same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (*1*) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so do by the appointing authority.

(2) A member of Service may also be deputed to serve under:—

(*i*) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana;

(*ii*) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(*iii*) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave pension, and matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

14. (*1*) In the matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time;

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(*2*) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (i) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of those rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of a appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations,

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and Savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

[(*See*) Rule 3]

Sr. No.	Designation of post	Number of posts		Total	Scale of Pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Research Officer	—	4	4	Rs. 1,600—50—2,300—EB—60—2,600
2	Statistical Assistant	—	2	2	Rs. 1,400—40—1,600—50—2,300—EB—60—2,600
3	Computer	—	1	1	Rs 950—20—1,150—EB—25—1,500

APPENDIX 'B'

[*See* Rule 7]

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Assistant Research Officer	(i) Master's degree from a recognised university in Economics or Agricultural Economics or Mathematics or Commerce with Statistics as one of the subjects either at the Master's level or if the candidate has also graduated in the Honours School in Mathematics or Economics, then with Statistics as one of the subjects at B. A. Honours school level in these subjects, or a Master's degree in Statistics. (ii) One year's experience in collection compilation and analysis of statistical data preferably in some Government office.	(i) Master's degree from a recognised university in Economics or Agricultural Economics or Mathematics or Commerce with Statistics as one of the subjects either at the Master's level or if the candidate has also graduated in the Honours School in Mathematics or Economics, then with Statistics as one of the subjects at B.A. Honours School level in these subjects, or a Master's degree in Statistics. (ii) One year's experience in collection, compilation and analysis of statistical data in on the post of Statistical Assistant or the equivalent.

1	2	3	4
		statistical data preferably in some Government office.	of statistical data in on the post of Statistical Assistant or the equivalent.
		(iii) Knowledge of Hindi upto matric standard. OR (i) Graduate with Economics or Mathematics or Agricultural Economics or Commerce or Statistics as one of the subjects in the first four cases. (ii) Five years experience in collection, compilation and analysis of statistical data on a post equivalent to that of Statistical Assistant preferably in some Government Office. (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.	(iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard. OR (i) Graduate of a recognised University with Economics or Mathematics or Agricultural Economics or Commerce or Statistics as one of the elective subjects. (ii) Three years experience as Statistical Assistant or equivalent. (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard. OR (i) Matriculation or its equivalent examination of a recognised university or Board, and (ii) At least 15 years experience of collection, compilation and analysis of Statistical data out

1	2	3	4
			of which at least seven years experience as statistical Assistant or its equivalent. (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.
2	Statistical Assistant	(i) Master's degree from a recognised university in Economics or Agricultural Economics or Mathematics or Commerce with Statistics as one of the subjects either at the Master's level or if the candidate has also graduated in the Honours school in Mathematics or Economics then with Statistics as one of the subjects and B. A. Honours school level in these subjects or a Master's degree in Statistics. (ii) Preference will be given to those possessing one year experience in collection, compilation and analysis of statistical data in some Government Office.	(i) Graduate with Economics or Agricultural Economics or Mathematics or Commerce or Statistics as one of the elective subjects; (ii) Three years experience as Computer. (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard. OR (i) Matriculation or its equivalent examination of a recognised university or Board. (ii) At least eight years experience as Computer in collection, compilation of statistical data.

		analysis of statistical data in some Government Office.	(ii) At least eight years as Computer in collection, compilation of statistical data.

1	2	3	4
		(iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard. OR (i) Graduate with Economics or Mathematics or Agricultural Economics or Commerce or Statistics as one of the elective subject. (ii) Two years experience of collection, compilation and analysis of statistical data preferably in some Government office or two years experience in any semi-government organisation.	(iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.
3	Computer	(i) Second class Matriculate. Preference will be given to graduates and persons knowing how to operate calculating machine. (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.	—

APPENDIX 'C'

[*See* Rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
			(1) MINOR PENALTIES:		
1	Assistant Research Officer	Director	(i) Warning with a copy in the personal file (Charactor roll) ;	Director	Financial Commissioner, Revenue
2	Statistical Assistant		(ii) Censure ;		
3	Computor		(iii) Withholding of promotion ;		
			(iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or		

1	2	3	4	5	6
			or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and (v) Withholding of increment of pay ;		
			(2) MAJOR PENALTIES : (vi) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the further increments of his pay ; (vii) Reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinary be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from	Director	Financial Commissioner, Revenue

1	2	3	4	5	6
			which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service; (viii) Compulsory retirement; (ix) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; (x) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.	Director	Financial Commissioner, Revenue.

APPENDIX 'D'

[*See* Rule 14(2)]

Serial Number	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Assistant Research Officer	(i) reducing or with holding the amount of ordinary or additional pension Admissible under the rules governing pension;	Director	Financial Commissioner, Revenue
2	Statistical Assistant			
3	Computer	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		

B. S. OJHA,

Secretary to Government, Haryana,
Revenue Department.

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 17-2022] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2022
(6 वैशाख, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 51/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 25 अप्रैल, 2022 – हरियाणा भू–अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप–ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	205–206
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 52/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 25 अप्रैल, 2022 – हरियाणा भू–अभिलेख (ग्रुप–ग) राज्य सेवा संशोधन नियम, 2022.	207–208
	3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 53/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 4 अप्रैल, 2022 – हरियाणा भू–अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप–ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	209–210
भाग IV	शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 अप्रैल, 2022

संख्या सा०का०नि० 53/संवि० /अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा भू–अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1991, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा भू–अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा भू–अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1991 में, नियम 5 में, "सत्रह" और "बाईस" शब्दों के स्थान पर, "अठारह" तथा दो बार आने वाले "पैंतीस" शब्द के स्थान पर, "बयालीस" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

पी० के० दास,
वित्तायुक्त राजस्व तथा अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 25th April, 2022

No. G.S.R. 53/Const. /Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Land Records Statistical (Group C) Service Rules, 1991, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Land Records Statistical (Group C) Service (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana Land Records Statistical (Group C) Service Rules, 1991, in rule 5, for the words and signs "seventeen" and "twenty-two" and "thirty" and "thirty-five", the words and sign "eighteen" and "forty-two" shall respectively be substituted.

P. K. DAS,
Financial Commissioner Revenue And
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

9545—C.S.—H.G.P., Pkl.